



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC- 833

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 16/09/2020

विषय- श्रीमती सुलेखा कुमारी द्वारा गया जिला अन्तर्गत खाता संख्या-870, खेसरा संख्या-1568,1608 मौजा-फतेहपुर SH-70 पथ किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.012 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/32115/2018/3170, दिनांक 30.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 10.09.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 30.05.2019 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Compensatory Afforestation: The State Forest Department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The user Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 7,29,862.00 (रु० सात लाख उनतीस हजार आठ सौ बासठ) मात्र की राशि को Account No. 1506219932115666, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.08.2020 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. IOBAR5202008280118478 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

3	Net Present Value (NPV):	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.012 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 7,512/- (सात हजार पाँच सौ बारह रुपये) मात्र को Account No. 1506219932115666, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.08.2020 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. IOBAR5202008280118478 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
(a)	The User Agency shall deposit Net Present Value (NPV) for the 0.012 ha forest area to be diverted under this proposal. The NPV is to be computed as per prescribed rates and the same shall be transferred into the State CAF account created/to be created under the CAF Act, 2016 and CAF Rules 2018 as per the prevalent guidelines	
(b)	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	User Agency should ensure that the compensatory Levies (CA Cost, NPV etc.) are deposited through challan generated online on web portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 28.08.2020 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
5	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पूर्व में उपलब्ध करायी गयी थी, जिसकी छायाप्रति प्रति इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।
6	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms shops etc.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	Entire Periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary,...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(d)	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers, staff	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10 (a)	The forest land under diversion shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The forest land under diversion shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
11	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 3392, दिनांक 21.08.202 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थल पर मिट्टी भराई का कार्य एवं अन्य कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतएव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC, दिनांक 29.01.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में Penal NPV की राशि प्रयोक्ता एजेंसी से ली जा सकती है।
12	Any other conditions that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest and wildlife.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के आलोक में Penal NPV के साथ स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.012 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

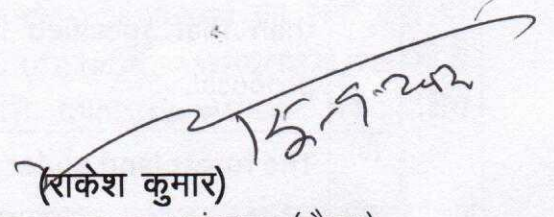
(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC- 833

दिनांक— 16/09/2020

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया एवं सुलेखा कुमारी, पति—अभ्यानन्द कुमार, ग्राम+पोस्ट—सबनीमा, थाना—अथमलगोला, जिला—पटना, पिन—803212 को सूचना हेतु प्रेषित।


(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Gaya/ Gaya Forest Division, Gaya.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Smt. Sulekha Kumari / HPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.012 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	30-05-2020				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a.Compensatory Afforestation	7,29,862/-				
	b. Additional CA	-NA-				
	C. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	7,512/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	IOBAR5202008280118478	7,512/-	NPV
		2		dated. 28.08.2020	7,29,862/-	CA
		Total-			7,37,374/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Corporation Bank, New Delhi on dt. 28.08.2020				
12	Any other remarks					

(Rakesh Kumar)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.